## कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय मांग संख्या 73 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1539.47	128.75	1668.22	1606.28	148.26	1754.54	1630.27	149.73	1780.00	1860.21	198.36	2058.57
वसू <i>लियां</i>	-4.67		-4.67									
प्रा <u>सियां</u>												
निवल	1534.80	128.75	1663.55	1606.28	148.26	1754.54	1630.27	149.73	1780.00	1860.21	198.36	2058.57
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	130.92	•••	130.92	164.99		164.99	151.98		151.98	197.70		197.70
2. संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय												
2.01 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो	696.16	89.92	786.08	717.28	84.91	802.19	749.29	86.46	835.75	749.69	85.70	835.39
2.02 कर्मचारी चयन आयोग	322.09		322.09	241.66		241.66	382.40	•••	382.40	382.59		382.59
2.03 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण	113.55	8.96	122.51	119.92	5.00	124.92	112.03	9.00	121.03	112.03	10.00	122.03
2.04 प्रशिक्षण प्रभाग, आईएसटीएम और एलबीएसएनएए	86.76		86.76	83.45		83.45	70.37		70.37	79.03		79.03
2.05 सीआईसी और पीईएसबी	27.90	***	27.90	32.00	•••	32.00	31.24	•••	31.24	31.25		31.25
2.06 लोकपाल	16.41		16.41	72.70	2.00	74.70	27.67	2.00	29.67	29.67	10.00	39.67
जोड़- संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	1262.87	98.88	1361.75	1267.01	91.91	1358.92	1373.00	97.46	1470.46	1384.26	105.70	1489.96
3. एआईएस अधिकारियों को ऋण					1.65	1.65		1.65	1.65		1.65	1.65
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1393.79	98.88	1492.67	1432.00	93.56	1525.56	1524.98	99.11	1624.09	1581.96	107.35	1689.31
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
4. प्रशिक्षण योजनाएं	97.61	29.87	127.48	104.70	50.30	155.00	48.11	46.23	94.34	87.31	91.01	178.32
<ol> <li>प्रशासनिक सुधार और पेंशनभोगी स्कीम</li> </ol>	17.56		17.56	35.00		35.00	18.03		18.03	20.00		20.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	115.17	29.87	145.04	139.70	50.30	190.00	66.14	46.23	112.37	107.31	91.01	198.32
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
6. आईआईपीए और एनसीजीजी	22.25		22.25	22.25		22.25	27.60		27.60	28.75		28.75
<ol> <li>कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्वायत्त निकाय</li> </ol>	3.68		3.68	6.83		6.83	6.05		6.05	136.69		136.69

सं 73/कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्त	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
जोड़-स्वायत्त निकाय	25.93		25.93	29.08		29.08	33.65		33.65	165.44		165.44	
अन्य													
8. सीआईसी और आरटीआई	4.58		4.58	5.50	4.40	9.90	5.50	4.39	9.89	5.50		5.50	
9. वास्तविक वसूलियां	-4.67		-4.67										
जोड़-अन्य	-0.09		-0.09	5.50	4.40	9.90	5.50	4.39	9.89	5.50		5.50	
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	25.84		25.84	34.58	4.40	38.98	39.15	4.39	43.54	170.94		170.94	
कुल जोड़	1534.80	128.75	1663.55	1606.28	148.26	1754.54	1630.27	149.73	1780.00	1860.21	198.36	2058.57	
ख. विकास शीर्ष													
सामान्य सेवाएं													
1. न्याय प्रशासन	113.16		113.16	119.92		119.92	112.03		112.03	112.03		112.03	
2. लोक सेवा आयोग	322.04		322.04	241.66		241.66	382.40		382.40	382.59		382.59	
3. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	133.78		133.78	171.82		171.82	158.03		158.03	334.39		334.39	
4. पुलिस	696.02		696.02	717.28		717.28	749.29		749.29	749.69		749.69	
5. सतर्कता	16.41	•••	16.41	72.70		72.70	27.67		27.67	29.67		29.67	
6. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	253.39		253.39	282.90		282.90	200.85		200.85	251.84		251.84	
7. पुलिस पर पूंजी परिव्यय		89.92	89.92		84.91	84.91		86.46	86.46		85.70	85.70	
<ol> <li>लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय</li> </ol>		38.83	38.83		61.70	61.70		61.62	61.62		111.01	111.01	
जोड़-सामान्य सेवाएं	1534.80	128.75	1663.55	1606.28	146.61	1752.89	1630.27	148.08	1778.35	1860.21	196.71	2056.92	
अन्य													
9. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम					1.65	1.65		1.65	1.65		1.65	1.65	
जोड़-अन्य					1.65	1.65		1.65	1.65		1.65	1.65	
कुल जोड़	1534.80	128.75	1663.55	1606.28	148.26	1754.54	1630.27	149.73	1780.00	1860.21	198.36	2058.57	

## 1. सिचवालय: यह प्रावधान निम्नलिखित के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के व्यय हेतु है:

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नियम एवं विनियम बनाने/व्याख्या करने; भर्ती, पदोन्नति और आरक्षण नीति; सिविल सेवाओं के पदों के सभी स्तरों/ग्रेडों हेतु प्रवेशन, प्रशिक्षण और पुनश्चर्चा कार्यक्रम; केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों, करिअर और जनशक्ति योजना, सतर्कता, अनुशासन और कल्याण संबंधी गतिविधियों; भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों की जांच-पड़ताल और अभियोजन; सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण संबंधी कार्य सौंपा गया है।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों से जुड़ी शिकायतों सहित, प्रशासनिक सुधार, ओ. एण्ड एम. तथा नीति, केन्द्र सरकार एजेंसियों से संबंधित समन्वय और शिकायतों के निवारण से संबंधित मामले, सिविल सेवा दिवस, प्रधानमंत्री पुरस्कार, मुख्य सचिवों का सम्मेलन इत्यादि के आयोजन कार्य सौंपे गए हैं। (ग) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा उपदान, पेंशन, पेंशनभोगियों के छुटपुट लाभ इत्यादि सहित सेवानिवृति लाभों से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं।

2.01. **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**: यह प्रावधान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है जिसे सरकारी कर्मचारियों, गैर-सरकारी व्यक्तियों, फर्मों तथा गंभीर अपराध के अन्य मामलों के अन्वेषण और अभियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशिक्षण केन्द्रों के आधुनिकीकरण, तकनीकी एवं फारेंसिक सपोर्ट यूनिटों की स्थापना, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की शाखाओं के लिए कार्यालय/आवास परिसरों का निर्माण, सीबीआई शाखाओं/कार्यालयों का व्यापक आधुनिकीकरण आदि जैसी विभिन्न स्कीमों हेतु प्रावधान भी शामिल है।

2.02. **कर्मचारी चयन आयोग:** यह प्रावधान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों इत्यादि के कर्मचारियों की भर्ती की परीक्षाओं के संचालन पर व्यय सिहत कर्मचारी चयन आयोग के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

- 2.03. **केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण:** यह प्रावधान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है, जिसे केवल सरकारी कर्मचारियों की शिकायत निवारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की विभिन्न पीठों के लिए भूमि की खरीद और भवन निर्माण का प्रावधान भी शामिल है।
- 2.04. प्रशिक्षण प्रभाग, आईएसटीएम और एलबीएसएनएए: इस प्रावधान में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी तथा प्रशिक्षण प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की स्थापना से संबंधित व्यय शामिल है। ये संस्थान कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनमें आधारिक (फाउण्डेशन) पाठ्यक्रम पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, करिअर मध्य प्रशिक्षण आदि शामिल होते हैं ताकि सभी स्तरों/ग्रेडों के सचिवालयीय पदधारियों को नवीनतम नियमावली तथा विनियमावली, अभिरूचि आदि की पर्याप्त जानकारी दी जा सके। केन्द्रीय सचिवालय सेवा/केन्द्रीय आशुलिपिक सचिवालय सेवा के कार्मिकों, जिन्हें अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति विचार के लिए पूर्व शर्त के रूप में सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान में अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करना होता है, के घरेलू/विदेशी यात्रा तथा पाठ्यक्रम शुल्क आदि पर होने वाले व्यय को भी इस मंत्रालय के बजट में केन्द्रीकृत रूप में शामिल किया गया है।
- 2.05. **सीआईसी और पीईएसबी:** यह प्रावधान केन्द्रीय सूचना आयोग और लोक उद्यम चयन बोर्ड के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।
  - 2.06. **लोकपाल:** यह प्रावधान लोकपाल की स्थापना और निर्माण से संबंधित भारित व्यय के लिए है।
- 3. **एआईएस अधिकारियों को ऋण:** यह प्रावधान अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अदा किए गए भवन निर्माण अग्रिम निर्माण हेतु राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति के लिए है।
- 4. **प्रशिक्षण योजनाएं:** इसमें सभी के लिए प्रशिक्षण, विदेशी प्रशिक्षण के लिए घरेलू वित्तपोषण, एलबीएसएनएए का एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नयन, आईएसटीएम में प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि तथा राष्ट्रीय सिविल सेवा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम-मिशन कर्मयोगी जैसी प्रशिक्षण योजनाओं के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।
- 5. प्रशासनिक सुधार और पेंशनभोगी स्कीम: इसमें सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण हेतु प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की स्कीम, प्रशासनिक सुधारों पर प्रायोगिक परियोजनाओं, जिनमें सुशासन को बढ़ावा देना, सफलता से सीखना, सेवोत्तम आदि शामिल हैं, की स्कीम के प्रावधान भी शामिल हैं। इसमें पेंशन विभाग की स्कीम "पेशनभोगियों के पोर्टल" हेतु आबंटन भी शामिल है।
- 6. **आईआईपीए और एनसीजीजी:** इसमें भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के लिए अनुदान हेतु योजना और स्थापना से संबंधित प्रावधान और राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र की स्थापना हेतु योजनागत प्रावधान शामिल है।
- 7. **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्वायत्त निकाय:** इस प्रावधान में गृह कल्याण केन्द्र, केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृति तथा खेल बोर्ड और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को की जानी वाली अनुदान सहायता शामिल है।
  - 8. **सीआईसी और आरटीआई:** कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार और सीआईसी का प्रमुख कार्यालय भवन का निर्माण के संबंध में निधियों का आवंटन किया गया है।